an>

Title: Regarding opening of Central Tribal University at Godda.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी लैंड एक्ट की चर्चा चल रही है, मेरे यहाँ सन्थाल परगना टेनेन्सी एक्ट है, जिसके कारण भाई न तो भाई की जमीन खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। इस कारण से यदि वहाँ स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है तो वह सरकार ही बना सकती है। मेरे यहाँ की जो स्थिति है, 35 परसेंट महिलाएं ही केवल लिटरेट हैं, अभी 8 मार्च को आपने महिला दिवस मनाया है। हमारे यहाँ 70 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहाँ 80 परसेंट से ज्यादा लोग गरीब हैं, 70 परसेंट से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं का लिट्रेसी रेट 35 परसेंट है, मेरा पूरा इलाका शैड्यूल 5 का इलाका है जिसमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट का ही दायित्व बनता है कि वह डैवलपमैंट करे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग आई है, उसमें सैन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मेरे इलाके में खुले। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.16 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Sixteen Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.